

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(7)वित्त/बीमा/2026

जयपुर, दिनांक 19/5/26

आज्ञा

वित्त (बीमा) विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.04.2026 की निरन्तरता में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997, 24.03.2022 एवं 18.05.2022 के अनुसार परीक्षणोपरान्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में आदेश प. 4(1)वित्त/बीमा/2026 दिनांक 19.03.2026 द्वारा नियुक्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनकी पारिवारिक/व्यक्तिगत परिस्थितियों के मध्यनजर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक तक कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ)	कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि
1.	271	प्रियंका छीपा	दिनांक 23.06.2026 तक
2.	410	दीपक शर्मा	दिनांक 23.09.2026 तक

उपर्युक्त अभ्यर्थियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अभिवृद्धि अवधि की दिनांक तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी कार्यग्रहण हेतु इच्छुक नहीं है तथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

शेष शर्तें वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 4(1)वित्त/बीमा/2026 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार यथावत रहेगी।

आज्ञा से

  
(धनलाल शिवावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहीम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया, उपमुख्यमंत्री महोदय, वित्त।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर (IGPRS, JAIPUR)
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर (श्रीमती प्रियंका छीपा एवं श्री दीपक शर्मा क्रमशः ई-मेल PCHIPA87@GMAIL.COM, DEEPAKSHARMA6566@GMAIL.COM)
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव 18/5/26